अध्याय – I

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा0क्षे0उ0 की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए, की जाती है। 31 मार्च 2015 को बिहार में सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या 73[1] थी। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2014–15 की अवधि में न तो किसी सा0क्षे0उ0 का समामेलन किया गया और न किसी सा0क्षे0उ0 का समापन हुआ। 31 मार्च 2015 को बिहार के राज्य सा0क्षे0उ0 से संबंधित विवरण नीचे दर्शाया गया है।

तालिका सं0 : 1.1 : 31 मार्च 2015 को सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	कार्यशील सा0क्षे0उ0	अकार्यशील सा0क्षे0उ0[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	30	40	70
सांविधिक निगमें	3	–	3
योग	**33**	**40**	**73**

स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 के आँकड़ों के अनुसार

सितम्बर 2015 तक अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 11,619.64 करोड़ का आवर्त्त प्राप्त किया। यह आवर्त्त वर्ष 2014–15 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का 2.89 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2015 तक अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 36.58 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2015 को उन्होनें 17281[4] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

31 मार्च 2015 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 थे जो 10 वर्ष से अधिक अवधि से अस्तित्व में थे एवं जिसमें कुल निवेश ₹ 729.02 करोड़ था। यह एक चिन्ताजनक स्थिति है चूँकि अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में निवेश का राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं है।

उत्तरदायित्व रूपरेखा

1.2 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 द्वारा अधिशासित है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी ऐसी कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार या सरकारों के द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य

---

1 ***परिशिष्ट–1.1*** के अनुसार।

2 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वो हैं जिन्होंने अपने कार्य–कलापों को बन्द कर दिया है।

3 सरकारी सा0क्षे0उ0 में वो कम्पनियाँ भी शामिल है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) में संदर्भित है।

4 43 सा0क्षे0उ0 के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।

सरकारों के पास है, एवं वैसी कम्पनी जो इन सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। अग्रेतर, अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0), आवश्यकतानुसार, एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी, ''जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) द्वारा अधिशासित है'' के लेखाओं का नमूना लेखापरीक्षा करवा सकते है तथा इस नमूना लेखापरीक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त्त) अधिनियम 1971 की धारा 19 अ के प्रावधान लागू होंगे। अतः एक सरकारी कम्पनी या अन्य कम्पनी (अन्य कम्पनी) जिनका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार या सरकारों के द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा, किया जाता है, की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। किसी कम्पनी की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा जो 31 मार्च 2014 या उससे पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित है, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है), के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा धारा 143 (6) के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों की समाप्ति के पूर्व सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा सन्दी लेखाकारों एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासकीय विभागों द्वारा इन सा0क्षे0उ0 से सम्बन्धित मामलों पर नियंत्रण रखती है। निदेशक पर्षद में मुख्य कार्यपालक एवं निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग का अनुश्रवण भी करती है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के सम्बन्ध में सी0ए0जी0 की टिप्पणियों एवं वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में धारा 394 के अन्तर्गत या सम्बन्धित अधिनियम में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत पृथ्क लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी0ए0जी0 (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त्त) अधिनियम 1971 की धारा 19 अ के अन्तर्गत सरकार को समर्पित की जाती है।

बिहार सरकार का अंश

1.5 सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार का वृह्द वित्तीय अंशदान है। यह अंशदान तीन रूप में है:

- **अंश पूंजी एवं ऋण** – अंश पूंजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार सा0क्षे0उ0 को समय–समय पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- **विशिष्ट वित्तीय सहायता** – राज्य सरकार सा0क्षे0उ0 को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान एवं अर्थसाहाय्य के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।

• **प्रत्याभूति** – राज्य सरकार सा0क्षे0उ0 द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं उनके ब्याज के पुर्नभुगतान के लिए प्रत्याभूति प्रदान करती है।

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

1.6 31 मार्च 2015 को, राज्य सा0क्षे0उ0 में ₹ 33,783.37 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है।

तालिका सं0 : 1.2 : सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सा0क्षे0उ0 के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगमें			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील सा0क्षे0उ0	21175.57	10917.01	32092.58	185.51	776.26	961.77	**33054.35**
अकार्यशील सा0क्षे0उ0	180.79	548.23	729.02	–	–	–	**729.02**
योग	**21356.36**	**11465.24**	**32821.60**	**185.51**	**776.26**	**961.77**	**33783.37**

स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 द्वारा समर्पित

31 मार्च 2015 तक राज्य के सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 97.84 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 2.16 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 63.76 प्रतिशत अंश पूँजी के लिये तथा 36.24 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। यह निवेश 2010–11 के ₹ 10,865.23 करोड़ से 210.93 प्रतिशत बढकर 2014–15 में ₹ 33,783.37 करोड़ हो गया, जैसा कि आरेखन संख्या : 1.1 में दर्शाया गया है।

आरेखन सं0 : 1.1 : सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश

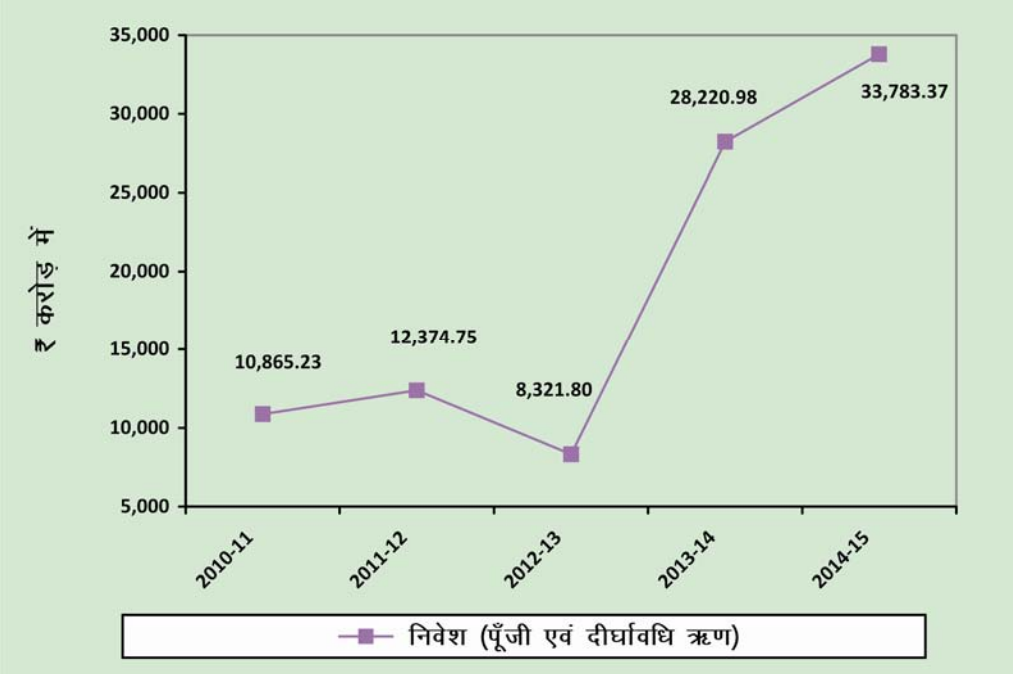

1.7 31 मार्च 2015 को सा0क्षे0उ0 में प्रक्षेत्र–वार निवेश का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका सं0 : 1.3 : सा0क्षे0उ0 में प्रक्षेत्र–वार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी/अन्य कम्पनियाँ		सांविधिक निगमें	कुल योग	निवेश
	कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील		(₹ करोड़ में)
ऊर्जा	9	–	–	9	27668.44
विनिर्माण	3	12	–	15	432.37
वित्त	4	4	1	9	589.05
विविध	2	10	–	12	85.88
सेवाएँ	3	1	2	6	4600.52
आधारभूत	6	1	–	7	256.06
कृषि एवं समवर्गी	3	12	–	15	151.05
	30	**40**	**3**	**73**	**33783.37**

स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 द्वारा समर्पित

31 मार्च 2011 तथा 31 मार्च 2015 को चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार–चार्ट में दी गयी हैं। विगत पाँच वर्षों में सा0क्षे0उ0 में निवेश का मुख्य प्रतिबल ऊर्जा क्षेत्र में था। वर्तमान वर्ष की अवधि में, यह वर्ष 2010–11 के ₹ 8,989.17 करोड़ से 207.80 प्रतिशत बढकर 2014–15 में ₹ 27,668.44 करोड़ हो गया। ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश का मुख्य कारण तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों[5] में विघटन एवं राज्य सरकार से बजटीय सहायता प्राप्त होना था। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में ₹ 3,930.10 करोड़ के वृहद् निवेश के कारण अन्य क्षेत्रों में निवेश में भी वर्ष 2010–11 की तुलना में 2014–15 में 225.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आरेखन सं0 : 1.2 : सा0क्षे0उ0 में क्षेत्रवार निवेश (₹ करोड़ में)

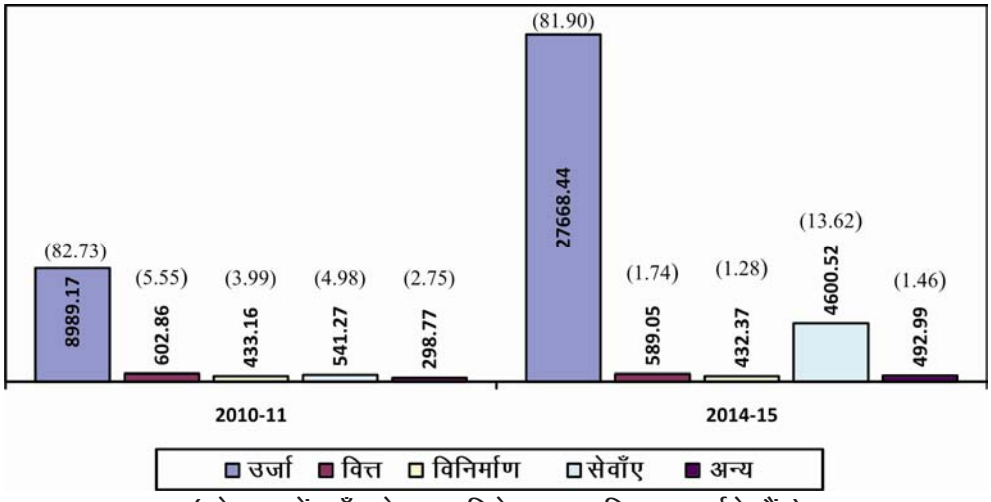

(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

[5] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

वर्तमान वर्ष की अवधि में वित्तीय सहायता एवं प्रतिफल

1.8 राज्य सरकार वार्षिक बजट के विभिन्न स्वरूपों द्वारा सा0क्षे0उ0 को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2014–15 को समाप्त हुए तीन वर्षों में सा0क्षे0उ0 से संबंधित अंशों, ऋणों, अनुदानों/अर्थसाहाय्यों, अपलिखित ऋणों एवं माफ किये गये ब्याज के रूप में बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका सं0 : 1.4 : सा0क्षे0उ0 को बजटीय बहिर्गमन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2012–13		2013–14		2014–15	
		सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	4	1,481.94	4	744.73	4	2443.01
2.	बजट से दिये गये ऋण	4[6]	677.17[7]	4	1079.54	4	203.33
3.	बजट से प्राप्त अनुदान/ अर्थसाहाय्य	6[8]	2,934.97[9]	6	2060.29	7	3821.20
4.	कुल बहिर्गमन[10] (1+2+3)	11	5,094.08	11	3884.56	9	6467.54
5.	माफ किए ऋण एवं ब्याज	–	–	–	–	–	–
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	–	–	5	2648.83	2	818.40
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	2	73.06	5	2910.89	7	3732.97

स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 द्वारा समर्पित

अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों से संबंधित विगत पाँच वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण आरेखन संख्या : 1.3 में दिया गया है :

[6] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।
[7] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त ऋण सम्मिलित है।
[8] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।
[9] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त अर्थसाहाय्य सम्मिलित है।
[10] वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के रूप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

आरेखन सं0 : 1.3 : अंशों, ऋणो एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों से सम्बन्धित बजटीय बहिर्गमन

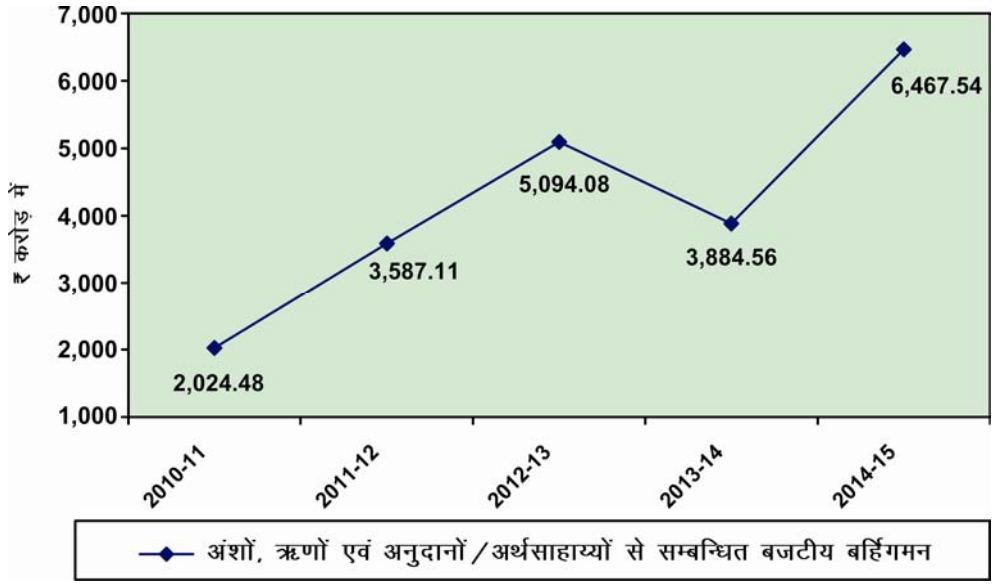

राज्य सरकार द्वारा, अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों के रूप में 2010–11 से 2014–15 के वर्षों में बजटीय समर्थन के बढ़ते हुए रूख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2010–11 के ₹ 2024.48 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 6,467.54 करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 की अवधि में, ₹ 6,467.54 करोड़ में से, ऊर्जा क्षेत्र ने राज्य सरकार से कुल ₹ 6,392.67 करोड़ (राज्य सरकार से प्राप्त कुल बजटीय समर्थन का 98.84 प्रतिशत) का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया। वर्ष के अंत में, सात[11] सा0क्षे0उ0 के मामले में ऋणों की प्रत्याभूतियों के मद में कुल ₹ 3,732.97 करोड़ बकाया था।

सा0क्षे0उ0 को बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिये राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुये प्रत्याभूति प्रदान करती है जिसके लिए प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया जाता है। प्रत्याभूति प्रतिबद्धता वर्ष 2012–13 के ₹ 73.06 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 3732.97 करोड़ हो गई। प्रत्याभूति शुल्क के मद में बिहार राज्य वित्त निगम के विरूद्ध वर्ष 1982–83 तक की अवधि से संबंधित ₹ 8.87 लाख एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के विरूद्ध वर्ष 2013–14 की अवधि से संबंधित कुल ₹ 1.63 करोड़ बकाया थे।

वित्तीय लेखों के साथ समाशोधन

1.9 राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंशों, ऋणों एवं अदत्त प्रत्याभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2015 की स्थिति का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

[11] बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट पॉवर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

तालिका सं0 : 1.5 : वित्त लेखों एवं राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंश, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखों[12] के अनुसार राशि	सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	5903.74	11967.16	6063.42
ऋण	4036.22	4623.76	587.54
प्रत्याभूतियाँ	1741.79	3539.97	1798.18

स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 एवं वित्त लेखे, बिहार सरकार 2015, द्वारा समर्पित

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि यह अन्तर 45 सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में थे एवं पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिये समाशोधन हेतु लम्बित थे।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा, जाँचोपरांत समाशोधन करने हेतु, राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव का ध्यान आकृष्ट किया गया (अक्टूबर 2011) तथा अद्यतन स्मारपत्र प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सितम्बर 2015 में भेजा गया। तथापि, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

1.10 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात सितम्बर के अंत तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 99 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है।

नीचे दी गयी तालिका कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा 30 सितम्बर 2015 तक लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

तालिका सं0 : 1.6 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति

क्रम सं0	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	25	26	31[13]	33	33
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या	34	23	26	31	26

[12] ये सूचनाएँ उन 45 सा0क्षे0उ0 (73 सा0क्षे0उ0 में से) के सम्बन्ध मे हैं जिनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखों मे किया गया है।

[13] उक्त आँकडों में पाँच नयी ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ सम्मिलित हैं जिनके व्यवसाय नवंबर 2012 से आरम्भ हुआ है।

3.	बकाए लेखों की संख्या	186	191	196	199[14]	206
4.	बकाए लेखों वाले कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	23	25	29	29	30
5.	बकाए लेखों की सीमा (वर्ष)	1 से 21	1 से 22	1 से 22	1 से 23	1 से 24

स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 द्वारा समर्पित

यह देखा जा सकता है कि बकाए लेखों की संख्या 186 (वर्ष 2010–11) से बढ़कर 206 (वर्ष 2014–15) हो गई है और यह स्थिति चिन्ताजनक है। 30 सितम्बर 2015 को 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से केवल तीन[15] सा0क्षे0उ0 ने वर्ष 2014–15 के अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था एवं शेष 30 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के विरुद्ध 206 लेखे अन्तिमीकरण को बकाया थे। 30 कार्यशील कम्पनियों के लेखे एक से 24 वर्षों की अवधि के लिए बकाया में थे। लेखों के बकाये के कारण, लेखों की तैयारी/प्रमाणीकरण एवं वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब तथा मानव संसाधन का अभाव था।

प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गए हैं। महालेखाकार द्वारा बकाया लेखों की स्थिति की सूचना मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को दी गई (अक्टूबर 2015)। अपितु इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन सा0क्षे0उ0 के निवल मूल्य का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

उपरोक्त बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को लेखों के बकाये के शीघ्र समापन एवं कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के प्रावधानों के अनुसार समय पर लेखों के अन्तिमीकरण हेतु प्रयास करना चाहिये।

1.11 जैसा कि ***परिशिष्ट–1.2*** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 18 सा0क्षे0उ0 में ₹ 8,770.21 करोड़ {अंश : ₹ 2,464.91 करोड़ (8 सा0क्षे0उ0), ऋण : ₹ 1,926.25 करोड़ (10 सा0क्षे0उ0), अनुदान : ₹ 1,430.41 करोड़ (9 सा0क्षे0उ0) तथा अन्य (अर्थसाहाय्य) : ₹ 2,948.64 करोड़ (6 सा0क्षे0उ0)} का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। अन्तिमीकृत लेखों तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उसकी प्राप्ति हुई थी कि नहीं, इस प्रकार सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य विधायिका की जाँच से वंचित रहा।

1.12 उपरोक्त के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2015 तक अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखों का अन्तिमीकरण भी बकाए में थे। 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से 10 सा0क्षे0उ0

[14] वर्ष 2012–2013 में कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को, इसके विघटन के फलस्वरूप पाँच नयी कम्पनियों में परिवर्तित होने से सम्मिलित नहीं होने के कारण, वर्ष 2012–2013 (30 सितम्बर) के अंत में लेखाओं के अन्तिमीकरण का बकाया 197 के स्थान पर 196 लिया गया था।

[15] बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्त निगम।

समापन की प्रक्रिया में थे जिनके लेखे 20 से 36 वर्ष तक की अवधि के लिए बकाये में थे। शेष 30 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाए लेखों की सीमा 10 से 31 वर्षों तक थी।

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

1.13 नीचे वर्णित विवरण सांविधिक निगमों के लेखे पर सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत (30 सितम्बर 2015 तक) पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाता है।

तालिका सं0 : 1.7 : पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधायिका में प्रस्तुत करने की स्थिति

क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई	वर्ष जिसका पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई	
			पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2007–08	2008–09	28 फरवरी 2011
			2009–10	8 जनवरी 2014
			2010–11	20 फरवरी 2015
2.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2013–14	–	–
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 2005–06 (32) विवरण निम्नवत्	
			1991–92	09 जून 1997
			1992–93	02 सितम्बर 1998
			1993–94	02 सितम्बर 1998
			1994–95	04 दिसम्बर 1998
			1995–96	18 अप्रैल 2000
			1996–97	19 मार्च 2004
			1997–98	19 अक्टूबर 2004
			1998–99	12 अप्रैल 2005
			1999–2000	07 अक्टूबर 2005
			2000–01	24 सितम्बर 2007
			2001–02	26 अक्टूबर 2007
			2002–03	25 जनवरी 2010
			2003–04	20 मई 2014
			2004–05	10 फरवरी 2015
			2005–06	29 सितम्बर 2015

स्रोत : सूचना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा समर्पित

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में

विलम्ब के विषय को सी0ए0जी0 द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में दिसम्बर 2010 में लाया गया था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कोई प्रगति नहीं पायी गयी। महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, के ध्यान में (मई 2011) लाया गया तथा अद्यतन स्मार पत्र जून 2015 में भेजा गया। सरकार को पृ0ले0प0प्र0 को तत्परता से विधायिका को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने का प्रभाव

1.14 जैसा कि ऊपर (कंडिका 1.10) में इंगित किया गया है लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप लोक धन की धोखाधड़ी एवं रिसाव के साथ–साथ सम्बन्धित विधानों की प्रावधानों के उल्लंघन का जोखिम बना रहता है। उपरोक्त लेखाओं के बकाये की स्थिति के कारण वर्ष 2014–15 के लिए राज्य जी0डी0पी0 में सा0क्षे0उ0 के वास्तविक योगदान का निर्धारण नहीं किया जा सका एवं सरकारी राज्यकोष में उनके योगदान को राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि :

- सरकार बकाये को समाप्त करने हेतु एक प्रकोष्ठ गठित कर सकती है एवं प्रत्येक कम्पनी के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकती है जिसका अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा किया जा सकता है।

- जहाँ उचित कर्मियों या विशेषज्ञों का अभाव है वहाँ सरकार लेखाओं को तैयार करने से सम्बन्धित कार्य को बर्हिःस्रोतन करने पर विचार कर सकती है।

अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

1.15 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट–1.1*** में वर्णित हैं। स0क्षे0उ0 के आवर्त तथा राज्य के जी0डी0पी0 का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में स0क्षे0उ0 के कार्यकलापों की सीमा दर्शाता है। नीचे दी गयी तालिका 2014–15 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में कार्यशील स0क्षे0उ0 का आवर्त्त एवं राज्य के जी0डी0पी0 को दर्शाता है :

तालिका सं0 : 1.8 : कार्यशील स0क्षे0उ0 का आवर्त्त एवं राज्य के जी0डी0पी0 का विवरण

(राशि : ₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
आवर्त्त[16]	4031.46	7811.28	2813.70	7924.89	11619.64
राज्य का जी0डी0पी0	203554	343269	293616	343663	402283
राज्य के जी0डी0पी0 का आवर्त प्रतिशत	1.98	2.28	0.96	2.31	2.89

स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 द्वारा समर्पित

1.16 वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा अर्जित/वहन की गयी लाभ/हानि नीचे बार चार्ट में दर्शायी गयी है:

[16] 30 सितम्बर को अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार आवर्त्त।

आरेखन सं0 : 1.4 : कार्यशील सा0क्षे0उ0 के लाभ/हानि

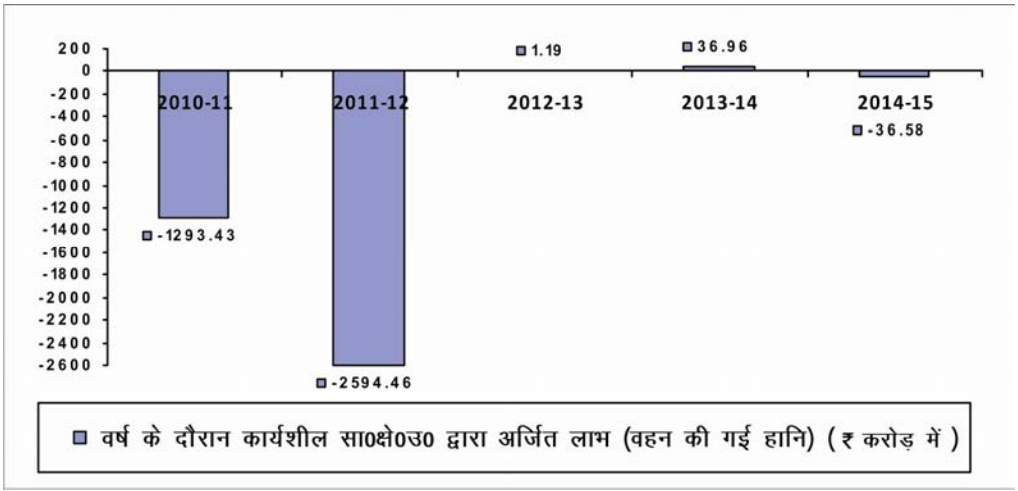

कुल हानि वर्ष 2010–11 में ₹ 1293.43 करोड़ से बढकर वर्ष 2011–12 में ₹ 2594.46 करोड़ हो गया। तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटन के कारण वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमशः ₹ 1.19 करोड़ एवं ₹ 36.96 करोड़ का मामूली लाभ हुआ। तथापि, वर्ष 2014–15 में पुनः ₹ 36.58 करोड़ की हानि हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 16 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 427.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 12 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 463.59 करोड़ की हानि वहन की। शेष पाँच सा0क्षे0उ0 में से तीन[17] सा0क्षे0उ0 ने शून्य लाभ/हानि अर्जित/वहन की एवं दो सा0क्षे0उ0[18] ने अभी तक (सितम्बर 2015) अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किए थे। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड (₹ 132.87 करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 106.99 करोड़), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (₹ 72.63 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 58.57 करोड़) मुख्य थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 268.69 करोड़), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 74.26 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 59.23 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

1.17 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के कुछ अन्य प्राचलिक नीचे दर्शाये गये हैं :

तालिका सं0 : 1.9 : कार्यशील सा0क्षे0उ0 के प्राचलिकें

(राशि : ₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	–	–	18.41	1.91	0.44
ऋण	9692.35	11193.13	4030.88	9349.36	11693.27
ऋण/ आवर्त्त अनुपात	2.40	1.43	1.43	1.18	1.01
ब्याज का भुगतान	1227.93	1558.11	78.86	248.56	168.30
संचित लाभ (हानि)	(–)7039.19	(–)9648.57	(–)1129.86	(–)1875.61	(–)3137.76

स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 द्वारा समर्पित

[17] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

[18] पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड।

नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ 18.41 प्रतिशत (2012–13) से घटकर 0.44 प्रतिशत (2014–15) हो गया। संचित हानि तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विद्यटन के कारण 2012–13 में प्रबल रूप से घट गया। यह पुनः ₹ 1129.86 करोड़ (2012–13) से बढ़कर ₹ 3137.76 करोड़ (2014–15) हो गया।

1.18 राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम लाभांश देना है। 16 सा0क्षे0उ0 ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 427.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया। तथापि, 16 सा0क्षे0उ0 में से केवल तीन कम्पनियों अर्थात बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 5 करोड़, ₹ 5 करोड़ एवं ₹ 3 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

1.19 31 मार्च 2015 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थीं । इनमें से 10 सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत थे।

चूँकि अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं राज्य के अर्थव्यवस्था में कोई योगदान करने में विफल हो रहे हैं, अतः इन सा0क्षे0उ0 के समापन अथवा इनके पुर्नजीवित करने हेतु विचार किया जा सकता है।

1.20 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में इनकी समापन की अवस्था निम्नतः दर्शित है :

तालिका सं0 : 1.10 : अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

क्रम सं0	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें	योग
1.	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या	40	–	40
2.	उपरोक्त (1) में से :			
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त गया था)	5[19]	–	5
(ब)	बन्द, अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश निर्गत परन्तु समापन प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं	5[20]	–	5

स्रोत : सूचना सरकारी समापक, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समर्पित।

वर्ष 2014–15 के दौरान किसी सा0क्षे0उ0 का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे लम्बी अवधि से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित होती है तथा इसका धारण/अनुसरण प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए। सरकार को 30 अकार्यशील सा0क्षे0उ0, जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू

[19] कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड ।

[20] बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट डेयरी कारपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड।

रहने या नहीं रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.21 वर्ष 2014–15[21] में 17 कार्यशील कम्पनियों[22] ने अपने 23 अंकेक्षित लेखाओं को महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से आठ कम्पनियों के आठ लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये। सी0ए0जी0 के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी0ए0जी0 की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखों के रख–रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभावों का विवरण तालिका संख्या : 1.11 में दी गई है :

तालिका सं0 : 1.11 : कार्यशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रभाव

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2012–13		2013–14		2014–15	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	8.76	2	51.20	2	692.89
2.	हानि में वृद्धि	7	7.28	7	49.20	4	121.18
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	2.70	9	4914.22	2	401.37
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	–	–	4	357.95	7	1088.69

स्रोत : सूचना कम्पनियों द्वारा समर्पित

वर्ष के दौरान 20 कम्पनियों[23] द्वारा अन्तिमीकृत 45 लेखाओं[24] पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सशर्त्त प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक था क्योंकि वर्ष के दौरान आठ[25] कम्पनियों के 11 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 11 मामले पाये गये।

1.22 इसी प्रकार, 2014–15[26] के दौरान तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने तीन लेखाओं[27] को महालेखाकार को अग्रसारित किया जो कि लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखों के संधारण की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती हैं। 2014–15 के दौरान उचित अभिलेखों/दस्तावेजों के अभाव के कारण बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2005–06 के लेखाओं पर अस्वीकरण प्रमाणपत्र निर्गत किया गया।

---

[21] अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 की अवधि तक।

[22] ***परिशिष्ट–1.1*** की क्रम संख्या अ 3, अ 4, अ 6, अ 7, अ 8, अ 11, अ 12, अ 13, अ 14, अ 16, अ 18, अ 19, अ 20, अ 22, अ 23, अ 26, एवं अ 30।

[23] कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (17) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (3)

[24] कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (23) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (22)

[25] ***परिशिष्ट–1.1*** की क्रम संख्या अ 4, अ 6, अ 12, अ 13, अ 18, अ 19, अ 26 एवं अ 30।

[26] अक्टूबर 2014 से सितम्बर 2015 की अवधि तक।

[27] बिहार राज्य भंडार निगम (2010–11), बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (2005–06) एवं बिहार राज्य वित्त निगम (2014–15)।

सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभाव की विवरणी नीचे दी गयी है:

तालिका सं0 : 1.12 : सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2012–13		2013–14		2014–15	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.19	1	3.75	1	8.47
2.	हानि में वृद्धि	–	शून्य	1	0.64	–	–
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	2.70	1	4.05	–	–

स्रोत : सूचना सांविधिक निगमों द्वारा समर्पित

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ

1.23 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव/सम्बन्धित विभाग के प्रधान सचिवों को छः सप्ताह के अन्दर उत्तर भेजने के निवेदन हेतु दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 14 कंडिकाएँ निर्गत की गई। तथापि 14 लेखापरीक्षा कंडिकाओं के सम्बन्ध में उत्तर राज्य सरकार से अप्राप्त (दिसम्बर 2015) थे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्त्ती क्रिया

लम्बित जवाब

1.24 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की चरम स्थिति को दर्शाता है। अतः यह आवश्यक है कि इनसे कार्यपालिका उचित एवं सामायिक उत्तरदायित्व का निष्कर्षण कर सके। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सभी प्रशासकीय विभागों को यह निर्देश दिया (अप्रैल 2015) है कि कोपू के प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना भारत के सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन में सम्मलित कंडिका/समीक्षाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण से सम्बन्धित टिप्पणीयाँ निर्धारित प्रपत्र में विधायिका में प्रस्तुतिकरण के तीन माह पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

तालिका सं0 : 1.13 : अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2015 को)

लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/सा0क्षे0उ0)	लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के विधायिका में प्रस्तुतिकरण की तिथि	लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की कुल संख्या		वैसी निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की कुल संख्या जिनके उत्तर/ स्पष्टीकरण टिप्पणी अप्राप्त थे	
		निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ
2009–10	20.07.2011	02	10	0	03
2010–11	06.08.2012	02	09	02	07
2011–12	01.08.2013	02	12	01	09
2012–13	15.07.2014	03	12	02	07
2013–14	07.04.2015	02	14	01	03
कुल योग		11	57	06	29

स्रोत : कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 68 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 13 विभागों की 35 कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा की स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ जो विगत पाँच वर्षो में राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गईं, अप्राप्त थे (सितम्बर 2015)।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार विमर्श

1.25 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा0क्षे0उ0) में उद्धृत एवं लोक उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा विचार–विमर्श की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं कि स्थिति निम्न है:

तालिका सं0 : 1.14 : 30 सितम्बर 2015 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित समीक्षाओं/कंडिकाएँ एवं इन पर परिचर्चा की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		विचार विमर्श की गयी कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाओं	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2009–10	02	10	02	07
2010–11	02	09	–	01
2011–12	02	12	–	–
2012–13	03	12	–	–
2013–14	02	14	01	–
कुल योग	11	57	03	08

स्रोत : कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार।

2009–14 की अवधि के दौरान सी0ए0जी0 की प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 11 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 57 कंडिकाओं में से आठ निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 49 कंडिकाएँ विचार–विमर्श हेतु लम्बित थे (सितम्बर 2015)।

लोक उपक्रमों की समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 मार्च 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि में राज्य विधायिका में कोपू के चार प्रतिवेदनों की छः कंडिकाओं से सम्बन्धित कार्यवाही टिप्पणियाँ अप्राप्त थे (सितम्बर 2015) जो कि नीचे दर्शायी गयी है :

तालिका सं0 : 1.15 : कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	वैसी अनुशंसाओं की कुल संख्या जिनके ए0टी0एन0 अप्राप्त थें
2009–10	01	01	01
2010–11	01	03	03
2011–12	01	01	01
2012–13	–	–	–
2013–14	01	01	01
कुल योग	04	06	06

स्रोत : लोक उपक्रम समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार।

कोपू के इन प्रतिवेदनों में एक विभाग की कंडिकाओं से सम्बन्धित अनुशंसाएँ सम्मिलित थीं जो कि भारत के सी0ए0जी0 के वर्ष 1996–97 से 2005–06 के प्रतिवेदनों में सम्मिलित है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार (अ) निर्धारित समय–सूची के अनुसार स्पष्टीकरण टिप्पणी/कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कोपू द्वारा की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई टिप्पणी का जवाब (ब) निर्धारित अवधि में हानि की वसूली/अदत्त्त अग्रिम/अधिभुगतान एवं (स) लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर अनुपालन हेतु तंत्र का पुर्ननिर्माण करना, सुनिश्चित कर सकती है।

इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

1.27 प्रतिवेदन में 14 कंडिकाएँ एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ अर्थात ''बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की निर्माण गतिविधियाँ एवं बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड'' जिसमें ₹ 309.37 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सम्मलित थे।

स0क्षे0उ0 का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.28 राज्य सरकार द्वारा सा0क्षे0उ0 के विनिवेश के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान कोई कदम नहीं उठाया गया। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा0क्षे0उ0 की पुर्नसंरचना की जानी थी। 12 सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबन्धन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया था। तथापि, इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0[28] के सम्बन्ध में ही किया गया है (सितम्बर, 2015)।

[28] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल–विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।